

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)  
श्रृंखला न्यायालय-बैहर  
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

C.R.A./18/2017

Filling No. CRA/552/2017

CNR MP 500500008822017

संस्थित दिनांक - 02.03.2016

श्याम कुमार पिता बसंत सिंह टेकाम उम्र 31 वर्ष  
निवासी-ग्राम खुसीपार थाना गढ़ी तहसील बैहर  
जिला बालाघाट

अपीलार्थी ।

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र-गढ़ी

तहसील बैहर जिला बालाघाट

उत्तरवादी

=====

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट  
प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क्र.-207/2010 में पारित निर्णय  
दिनांक 05.02.2016 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के  
अंतर्गत यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

=====

श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी ।

श्री डी.पी. बिसेन अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य।

=====

-// // निर्णय // // -

(आज दिनांक 07 अप्रैल 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 207/2010 शासन बनाम श्यामकुमार में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2016 से परिवेदित होकर पेश की गई है।

2. अभियोजन मामले का सार यह है कि दिनांक 10.02.2010 को रात्रि करीब 10:30 बजे फरियादी मोहनलाल अपनी मोटरसायकल क्रमांक सी.जी. 05-7827 से घुड़नसाल के साथ बस स्टैंड आ रहा था तभी छतरसिंह तेकाम

बुलेरो वाहन क्रमांक एम.पी. 50 टी. 0221 के चालक ने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, मोहनलाल, घुड़नलाल गिर गए, चोट आयी, मुलाहिजा हेतु सरकारी अस्पताल बालाघाट ले जाते समय उकवा के पास मोहनलाल की मृत्यु हो गई, घुड़नलाल को बालाघाट रवाना किया गया, मोहनलाल के शव को ले जाया गया। घटना विजय कुमार सोनी, शंभूदास धारवैया ने देखी है, के आशय की रिपोर्ट सूचनाकर्ता अजय कुमार सोनी ने थाना बैहर में अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई जिसे असल नंबर कायमी हेतु थाना गढ़ी प्रेषित किया गया, आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/10 धारा 279, 337, 304-ए भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। मृतक मोहनलाल के शव का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया, शव का परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, मौकानक्शा बनाया गया, आरोपी से वाहन जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, अन्वेषण पूर्ण कर धारा 279, 338, 304-ए, 338 भा.द.वि. एवं 134/187 मोटरयान अधिनियम के अधीन अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण में आयी साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन न कर विधि के विपरीत मान्यता प्रदान कर त्रुटि की है। अशोक अ.सा. 10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वाहन का स्टेरिंग फेल हो जाने के कारण दुर्घटना कारित हुई है। दुर्घटना के पश्चात् वाहन का स्टेरिंग व ब्रेक फेल हुआ हो, जैसा निम्न न्यायालय द्वारा निर्णय की कंडिका 20 में उल्लेखित किया है। मैकेनिक परीक्षण में यह कहीं नहीं बताया गया कि दुर्घटना के पूर्व वाहन का एक लाईट नहीं जल रहा था, हितबद्ध साक्षियों के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया है कि वाहन कितनी तेज गति से चल रहा था, किस तरह की लापरवाही से चल रहा था। आरोपी के विरुद्ध यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उसके द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया हो, मात्र तेज गति के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं

किया जा सकता। अपील स्वीकार कर निम्न न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा निरस्त किए जाने की याचना की है।

4. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क. 207/10, शासन विरुद्ध श्याम कुमार, निर्णय दिनांक 05.02.2016 को अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

5. घुड़नलाल (अ.सा.1), विजय कुमार (अ.सा.2), बिंदुबाई (अ.सा.3) के कथनों से आरोपित अपराध की घटना को प्रमाणित माने जाने हेतु साक्ष्य उपलब्ध है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 279, 338, 304-ए भा.द.वि. तथा 134/187 मोटरयान अधिनियम के अधीन अपराध को सिद्ध माना है जो अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य से है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजकुमार सोनकुसरे द्वारा अपील में किए गए तर्क में यह निवेदन किया है कि अभियोजन साक्षी क्रमांक 10 अशोक अग्निहोत्री की साक्ष्य को विचार में लिए बिना निर्णय पारित किए जाने से निष्कर्ष दिए जाने में त्रुटि हुई है। श्री सोनकुसरे अधिवक्ता ने अशोक अग्निहोत्री अ.सा. 10 का कथन पढ़ते हुए निवेदन किया कि दिनांक 18.02.2010 को इस साक्षी ने बुलेरो वाहन क्रमांक एम.पी. 50 टी. 0221 का परीक्षण किया था। सामने का ब्रेक, साईड ग्लास, इंडीगेटर टूटा हुआ पाया था। स्टेरिंग बाक्स, बॉडी बम्पर डेमेज पाया था। मैकेनिक रिपोर्ट प्र.पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में स्वीकार किया है कि सामने का ब्रेक टूटा हुआ था और स्टेरिंग फेल था। यह भी स्वीकार किया है कि स्टेरिंग फेल होने के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

7. श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता ने अशोक अग्निहोत्री अ.सा. 10 के कथन के आधार पर और परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 9 के आधार पर निवेदन किया कि स्टेरिंग फेल होने, ब्रेक फेल होने के कारण कोई भी चालक उस

वाहन पर अपना यांत्रिकी नियंत्रण नहीं रख सकता है। यांत्रिकी त्रुटि के कारण दुर्घटना हुई है, इसलिए अपीलार्थी की उपेक्षा अथवा उतावलापन का तथ्य प्र.पी. 9 की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। प्र.पी. 9 के दस्तावेजी साक्ष्य तथा अशोक अग्निहोत्री अ.सा. 10 के कथन के आधार पर दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

8. राज्य की ओर से श्री डी.पी. बिसेन ए.पी.पी. द्वारा अपीलार्थी की ओर से किए गए तर्क का विरोध करते हुए निवेदन किया है कि इस साक्षी का परीक्षण जब न्यायालय में हुआ था, तब प्र.पी. 9 की रिपोर्ट को राज्य की ओर से चिन्हित किया गया था। सामने का ब्रेक टूटा था तो चालक को उसे ठीक कराने के बाद गाड़ी चलाना चाहिए था, गाड़ी चलाने के पूर्व अपने वाहन के सही हालत में होने के संबंध में सावधानी न बरतने के कारण अपीलार्थी अभियुक्त का उपेक्षापूर्ण कृत्य है, इसलिए पारित निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

9. उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। अभिलेख पर आयी संपूर्ण दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का गुणदोष पर निराकरण हेतु परिशीलन किया गया। प्र.पी. 9 की यांत्रिकी परीक्षण रिपोर्ट अभियोजन पक्ष का दस्तावेज है तथा इस दस्तावेज को अभियोजन साक्षी अशोक अ.सा. 10 ने प्रमाणित किया है। इस दस्तावेज के विपरीत अभियोजन पक्ष किसी प्रकार की उपधारणा के संबंध में तर्क नहीं कर सकता है। प्र.पी. 9 के दस्तावेज में लिखी प्रत्येक प्रविष्टि राज्य पर बंधनकारी है। प्र.पी. 9 के दस्तावेज के आलोक में अपीलार्थी की उपेक्षा दुर्घटना के समय होना नहीं पायी जाती है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्र.पी. 9 के दस्तावेज और अशोक अग्निहोत्री अ.सा. 10 के कथन को विचार में न लेकर निकाले गए निष्कर्ष से विधिक त्रुटि स्पष्ट प्रतीत होती है।

10. अपीलार्थी के विरुद्ध आलोच्य निर्णय दिनांक 05.02.2016 दिए गए निष्कर्ष के आधार को प्र.पी. 9 के दस्तावेज के साथ देखने पर दुर्घटना प्रमाणित होती है, किंतु अपीलार्थी के उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण कृत्य का परिणाम न होकर यांत्रिकी त्रुटि होना स्पष्ट दर्शित होता है। इस हेतु अपीलार्थी

को दोषसिद्ध करार नहीं दिया जा सकता। परिणामतः आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 05.02.2016 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किया जाता है। धारा 134/187 मोटरयान अधिनियम के अपराध को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य नहीं है।

11. अतः अपीलार्थी श्यामकुमार की ओर से पेश **अपील स्वीकार कर** उसे **दोषमुक्त** किया जाता है। अपीलार्थी के जमानत मुचलके अपास्त कर भारमुक्त किए जाते हैं।

12. मामले में जप्त संपत्ति पूर्व से सुपुर्दनामे पर है। सुपुर्दनामे की शर्तें अपास्त की जाती हैं। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

13. निर्णय की प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर विचारण न्यायालय की ओर भेजी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेशन पर टंकित  
किया गया।

सही/—

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही/—

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर